प्राथमिकता

संख्या- 19/2018/719/60-3-2018-10(सा0)/2017

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 महिला कल्याण निगम,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3लखनऊः दिनांकः 25 मई, 2018

विषयः-निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित भुगतान हेतु गठित समिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32/म0क0नि0/स्था0/2018-19, दिनांक 17.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित भुगतान हेतु गठित 03 सदस्यीय समिति में नामित 02 सदस्य वित्त नियंत्रक, महिला कल्याण निगम तथा वरिष्ठ वित्त सलाहकार, महिला सम्मान कोष का प्रभार श्री विनय श्रीवास्तव के पास है, ऐसी स्थिति में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समिति में 02 ही सदस्य हैं, जिस कारण उक्त समिति को पुनर्गठित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित भुगतानों के निस्तारण हेतु एतद्द्वारा निम्नांकित समिति गठित की जाती हैः-

1- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।

2- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।

3- श्रीमती प्रेमवती, उप निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय (मुख्यालय), लखनऊ।

4- श्री बी0एस0 निरंजन, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय (मुख्यालय), लखनऊ।

तद्नुसार कृपया प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-719 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. नामित सदस्यगण।

3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी।

4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।